मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर की वित्त समिति की दिनांक 28.12.2022 को विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में प्रातः 10.30 बजे सम्पन्न हुई 2022/02 (छब्बीसवीं) बैठक की कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :-

1.	प्रो0 श्री जे0पी0 पाण्डेय कुलपति, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री अन्नावि दिनेश कुमार, विशेष सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य
3.	श्री अशोक कुमार सिंह, अपर निदेशक कोषागार गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर। प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।	सदस्य
4.	ई0एस0के0 अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक, मेसर्स एस0 के0 केमिकल्स। चैम्बर आफ इन्डस्ट्रीज, 105, सुनन्दा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर।	राज्य सरकार द्वारा नामित
5.	प्रो0 ए0एन0 तिवारी अधिष्ठाता छात्र मामले, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
6.	प्रो0 संजय मिश्रा, अधिष्ठाता अध्ययन, शोध एवं विकास, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
7.	प्रो0 गोविन्द पाण्डेय, अधिष्ठाता अवस्थापना एवं नियोजन, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
8.	प्रो0 यू0सी0 जायसवाल, अधिष्ठाता संकाय मामले, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
9.	प्रो0 पी0के0 सिंह, अधिष्ठाता स्नातक अध्ययन एवं उद्यमिता, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
10.	प्रो0 एस0सी0 जैसवाल, समन्वयक, टेक्विप, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य

F.C.

11. डा0 जय प्रकाश, सदस्य
कुलसचिव,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

12. श्री अमर सिंह, सदस्य/सचिव
वित्त नियंत्रक,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

वित्त समिति की छब्बीसवीं बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत् है।

दिनांक 28.12.2022 को आयोजित वित्त समिति की 26 वीं बैठक में समिति के सम्मानित सदस्यों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये। जिसके भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। सुझाव निम्नवत है।

(A) विभिन्न विभागों/अनुभागों द्वारा समाग्री क्रम,उपकरण क्रम एंव जनरल आदि पर होने वाले संभावित व्यय का उल्लेख तो रहता है, परन्तु व्यय की जाने वाली धनराशि की विन्दुवार डिटेलिंग नही रहती है। भविष्य में कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर इस तथ्य को ध्यान में अवश्य रखा जाय।

(B) गत वित्त समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों पर कार्यान्वित का विवरण प्रस्तुत करते समय कार्यवित्त का विवरण कालम में यह लिखा जाना कि नियमानुसार क्रय की प्रक्रिया चल रही है। यह उचित नही है उसमें विस्तृत्त विवरण आना चाहिए कि टेण्डर आदि की कार्यवाही की स्थिति (जेम पोर्टल के माध्यम से) अत तक कितनी धनराशि व्यय हुई है उसका प्रतिशत कार्य कब तक पूण हो जायेगा। उसकी सम्भावित तिथि आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए यह सम्बन्धित विभाग/अनुभाग की जिम्मेजारी होगी।

(C) 25 वीं बैठक में लिए गये निर्णय के विन्दु 25-15 में दो प्रस्तावित शामिल है। प्रथम प्रस्ताव वाहन अनुभाग में आउटसोर्स में कार्यरत्त वाहन चालकों की सेवाओं को अतिकुशल श्रेणी सी से अतिकुशल श्रेणी बी में परिवर्तित किये जाने का था। जिसपर समिति की सहमति प्राप्त हो गयी थी। परन्तु उसी प्रस्ताव में एक दूसरा प्रकण आउटसोर्सिगं ड्राइवरों को उनकी आकस्मिक सेवाओं के दृष्टिगत कैम्पस में किराये की न्यूनतम दर तक निशुल्क आवास की सुविधा प्रदान किये जाने विषयक था। जिसे समिति ने निरस्त करते हुए सुझाव दिया कि ड्राइवरों को प्राप्त हो रहें मानदेय से मिनिमम आनुपातिक (प्रपोसनेट) चार्ज आवास मद से अवश्य लिया जाय। आउटसोर्सिग कर्मियों को आवास की निशुल्क सुविधा नही दी जा सकती है।

(D) वित्त समिति की 25 वीं बैठक के विन्दु संख्या 25-17 जो कि आई0टी0आर0सी0 के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार आउटसोर्स कर्मी रखे जाने से सम्बन्धित है के सम्बन्ध में समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि आगे से सर्विसेज परिभाषित (डिफाइन) करते हुए आउटसोर्स के माध्यम से करा लिया जाय। अन्य तकनीकी विभागों में भी सर्विसेज हेतु यही प्रक्रिया अपनायी जाय।

(E) विन्दु संख्या 26-16 बी पर चूकि कार्यवाही प्रतिक्षित दर्शायी गयी है, यह स्थिति उचित नही है। यह कार्य को दिनांक 31 मार्च 2023 से पहले पूर्ण करा लिया जाय।

F.C.

26-01 **वित्त समिति की दिनांक 20.09.2022 को सम्पन्न हुई 2022/02 (पच्चीसवीं) बैठक की कार्यवृत्ति के पुष्टि का प्रस्ताव।**

समिति को अवगत कराया गया कि वित्त समिति की पच्चीसवीं बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यो को प्रेषित किया गया था, जिस पर मा0 सदस्यो द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नही हुयी।

26-02 **मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 2022/02 (पच्चीसवीं) बैठक मे लिये गये निर्णयों पर कार्यान्वित का विवरण।**

वित्त समिति की पच्चीसवीं बैठक मे लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण का अवलोकन करते हुए पूर्व के स्वीकृति प्रस्तावों पर लिये गये निर्णयों से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर सहमति व्यक्त की गयी।

26-03 **वित्तीय वर्ष 2022-23 का अनुमोदित बजट के सापेक्ष दिनांक 30.11.2022 तक का वास्तविक व्यय का व्योरा एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 का पुनरीक्षित बजट के प्रस्ताव के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 का अनुमानित व्यय एवं आय के बजट का प्रस्ताव।**

समिति द्वारा विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2022-23 का अनुमोदित बजट के सापेक्ष दिनांक 30.11.2022 तक का वास्तविक व्यय का व्योरा एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 का पुनरीक्षित बजट के प्रस्ताव के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 तक का अनुमानित व्यय एवं आय के बजट से अवगत होते हुए अनुमोदन किया गया।

26-04 **यात्रिंक अभियंत्रण विभाग के प्रयोगशालाओं में हीट ट्रांसफर लैंब एवं आटो मोबाईल इन्जी0 लैब हेतु उपकरण क्रय किये जाने का प्रस्ताव।**

समिति द्वारा विचारोपरान्त यांत्रिक अभियंत्रण विभाग में हीट ट्रांसफर लैंब एवं आटो मोबाईल इन्जी0 लैब हेतु उपकरण क्रमशः रु. 9.95 लाख तथा रु. 7.77 लाख के क्रय किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त प्रस्तावित कार्य पर होने वाला व्यय धन की उपलब्धता के अनुसार विश्वविद्यालय के श्रोतो से होने वाली आय की बचतो से वहन किया जायेगा।

26-05 **विश्वविद्यालय की भूमि के सीमांकन के लिये टोटल स्टेशन सर्वे कराने का प्रस्ताव।**

समिति द्वारा विचारोपरान्त आराजी संख्या 242/1 में 118.48 एकड भूमि में से 16 एकड भूमि कुछ व्यक्तियों द्वारा गलत अभिलेख प्रस्तुत कर राजस्व अभिलेखों मे अपना नाम दर्ज कराने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा वाद न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय के समक्ष दाखिल है एवं भूमि के पैमाइस कराने का जिलाधिकारी द्वारा अनुरोध किय गया है। साथ ही नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में सीमांकन कराने हेतु एक समिति के गठन का आदेश निर्गत करते हुए सचिव गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर से अनुरोध किय गया है कि वे भी सीमांकन की कार्यवाही में उपस्थित रहें भूमि की सीमांकन के लिये टोटल स्टेशन सर्वे कराने हेतु निर्धारित दर 0.65 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल क्षेत्रफल 1368719.56 वर्ग मीटर का 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित कुल रु. 1049807.90 का भुगतान गोरखपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में किये जाने किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

26-06 **रसायन एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रयोगशालाओं हेतु आवश्यक उपकरण के क्रय का प्रस्ताव।**

समिति द्वारा रसायन एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग द्वारा कम्प्यूटर, बुक, बुक सेल्फ, टेबल स्माट डिजीटल बोर्ड एवं नये उपकरण के क्रय किये जाने पर रु. 17.40 लाख का व्यय भार पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त प्रस्तावित पर होने वाला व्यय धन की उपलब्धता के अनुसार विश्वविद्यालय से होने वाली आय की बचतो से वहन किया जायेगा।

F.C.

26-07 केमिकल इन्जी0 विभाग के प्रयोगशालाओं **Machine Room, Pharmaceutical ChemistryIII, Pharmacology, Pharmacognosy & Pharmaceutical, Microbiology** उपकरण का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विचारोपरान्त केमिकल इन्जी0 विभाग में Machine Room, Pharmaceutical ChemistryIII, Pharmacology, Pharmacognosy & Pharmaceutical Microbiology उपकरण के क्रय किये जाने पर रु. 175. 00 लाख के प्रस्ताव का विस्तृत विवरण प्राप्त करते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय एवं कृत कार्यवाही से आगामी वित्त समिति की बैठक में रिपोर्ट किया जाय।

26-08 फिजीक्स एवं मैटेरियल साइन्स विभाग के प्रयोशालाओं में नये उपकरण क्रय किये जाने का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विचारोपरान्त फिजीक्स एवं मैटेरियल साइन्स विभाग के प्रयोगशाला में उपकरण क्रय नियमानुसार किये जाने पर रु. 16.17 लाख का व्यय भार पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त प्रस्तावित कार्य पर होने वाला व्यय धन की उपलब्धता के अनुसार विश्वविद्यालय के श्रोतो से होने वाली आय की बचतो से वहन किया जायेगा।

26-09 सूचना प्रौद्योगिकी एवं संगणक अनुप्रयोग विभाग के प्रयोगशालाओं में उपकरण क्रय किये जाने का प्रस्ताव।

समिति द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संगणक अनुप्रयोग विभाग के प्रयोगशालाओं में नये उपकरण नियमानुसार क्रय किये जाने पर रु. 9.44 लाख का व्यय भार पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त प्रस्तावित कार्य पर होने वाला व्यय धन की उपलब्धता के अनुसार विश्वविद्यालय के श्रोतो से होने वाली आय की बचतो से वहन किया जायेगा।

26-10 सुभाष भवन छात्रावास के चारो तरफ स्थायी वाउड्री वाल कराये जाने का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विचारोपरान्त छात्रावास अधीक्षक सुभाष भवन द्वारा छात्रावास के चारों तरफ से स्थायी वाउड्री वाल बनाये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिस समिति द्वारा विश्वविद्यालय के बसहरी चारो किनारों पर वाउड्री वाल बन जाने से वाउड्री वाल के अन्दर फिर वाउड्री वाल बनाये जाने पर असहमति व्यय की गयी समिति द्वारा लोहे की ग्रील से छात्रावास को चारो तरफ से घेरे जाने का सुझाव दिया गया इसी तरह का कार्य रमन भवन छात्रावास में भी कराये जाने का प्रस्ताव समिति के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया क्योकि दोनो छात्रावासों एक साथ ही बने और उनकी संरचना एक जैसी ही है।

उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन लागत रु. 25.00 लाख का व्यय भार पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही यह भी निर्णय निर्णय लिया गया कि यह कार्य विश्वविद्यालय के कार्यशाला (वर्कशाप) विभाग द्वारा कार्यशाला अधीक्षक की देख-रेख में वित्तीय नियमों के अनुपालन के साथ कराया जाय।

उक्त प्रस्तावित कार्य पर होने वाला व्यय धन की उपलब्धता के अनुसार विश्वविद्यालय के श्रोतो से होने वाली आय की बचतो से वहन किया जायेगा।

26-11 तिलक भवन छात्रावास के चारो तरफ स्थायी वाउड्री वाल कराये जाने का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विचारोपरान्त छात्रावास अधीक्षक तिलक भवन द्वारा छात्रावास के चारो तरफ से स्थायी वाउड्री वाल बनाये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिस पर अनुमानित लागत रु. 11.00 लाख का व्यय भार पर असहमति व्यक्त की गयी समिति द्वारा लोहे की ग्रील से छात्रावास को चारो तरफ से घेरे जाने का सुझाव दिया गया इसी तरह का कार्य रमन भवन छात्रावास में भी कराये जाने का प्रस्ताव समिति के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया क्योकि दोनो छात्रावासों एक साथ ही बने और उनकी संरचना एक जैसी ही है।

F.C.

उक्त प्रस्तावित कार्य पर होने वाला व्यय धन की उपलब्धता के अनुसार विश्वविद्यालय के श्रोतो से होने वाली आय की बचतो से वहन किया जायेगा

अनुपूरक प्रस्ताव :

26-11/02 विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभाग के विभागाध्यक्षों को प्रत्येक वर्ष अधिकतम रू0 1.0 लाख के वित्तीय व्यय के अधिकार दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।

समिति द्वारा विचारोपरान्त कि विश्वविद्यालय को वर्तमान में नैक से प्राप्त "ए" ग्रेड को और अधिक बेहतर किये जाने के दृष्टिगत नैक पीयरटीम द्वारा अपने भ्रमण के दौरान दिये गये सुझावों का क्रियान्वयन किये जाने की दिशा में अधिकार का विकेन्द्रीकरण (Decentralization of Power) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभाग के विभागाध्यक्षों को प्रत्येक वर्ष वित्तीय अधिकतम रू0 1.0 लाख के वित्तीय व्यय के अधिकार रू0 10000.00 (रूपये दस हजार मात्र) की अधिकतम 10 स्थाई अग्रिम (PI) के रूप में प्रदान करने एवं जिसमें विभागाध्यक्षों को रू0 2000.00 तक मूल्य के एक रसीद की बाध्यता के साथ अनुमन्य किये जाने पर समिति द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि विश्वविद्यालय के एक्ट में वर्णित व्यवस्था के अनुसार पत्रावली के माध्यम से (PI) के भुगतान का प्रस्ताव संक्षम स्तर पर अनुमोदन हेतु नियमानुसार प्रेषित किया जायेगा।

26-11/03 दीनदयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को विभिन्नद मदों में आवंटित धनराशि का आवश्यकतानुसार उपभोग किये जाने पर विचार एवं अनुमोदन।

समिति द्वारा विचारो परान्त प0 दीनदयाल गुणवत्ता सुधार योजना के अन्तर्गतस्वीकृत विभिन्न मदों/कार्यों के कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय को धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। जिसके सापेक्ष विश्वविद्यालय द्वारा कार्यों को समयबद्ध कराये जाने हेतु निविदा भी आमंत्रित की गयी थी। परन्तु पर्याप्त एवं अर्ह निविदाओं की अनुपलब्धता के कारण उक्त निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। शासन अथवा डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के स्तर से उक्त कार्यों को न किये जाने के सम्बन्ध में कोई भी लिखित निर्देश अभी तक प्राप्त नही है।

सूच्य है कि उक्त मदों में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में छात्र-छात्राओं के अध्ययन हेतु नवीन उपकरणों की क्रय आदि न होने से छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है। छात्र-छात्राओं के अध्ययन की आवश्यकता के दृष्टिगत उक्त मदों में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वर्तमान प्रचलित शासकीय व्यवस्था के अन्तर्गत क्रय प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर उपकरण/कार्य स्थापित कराया जाना नितान्त आवश्यक है। विश्वविद्यालय उक्त कार्य अनुमोदन बजट की सीमा तक कराये जाने एवं भविष्य में यदि उक्त के लिये प्राप्त धनराशि को वापस किये जाने के लिये ए0के0टी0यू0 लखनऊ से कहने की दशा में विश्वविद्यालय की बचतो से धनराशि वापस की जायेगी, एवं व्यय की धनराशि को विश्वविद्यालय की बचतो से व्यय माना जायेगा।

कृत कार्यवाही से शासन के अवगत करा दिया जाय।

26-11/04 विश्वविद्यालय कार्यो हेतु पधारे अतिथियों, का विश्वविद्यालय हित में अतिथि-गृह में निशुल्क आवास हेतु चिन्हांकन के प्रस्ताव का अवलोकन एवं अनुमोदन।

विश्वविद्यालय कार्यो से पधारे विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओ के विषय विशेषज्ञ, प्रबन्ध बोर्ड, विद्यापरिषद, परीक्षा समिति तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न सांस्कृतिक एवं स्थापना दिवस समारोहो में प्रतिभाग करने हेतु पधारे गणमान्य व्यक्तियों व माननीय कुलपति महोदय द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति विशेष को विश्वविद्यालय हित में अतिथि-गृह में निशुल्क आवासन हेतु व्यक्तियों का चिन्हांकन किया जाना है।

वित्त समिति के माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया विश्वविद्यालय हित मे विश्वविद्यालय हित में

विश्वविद्यालय कार्यो हेतु पधारे अतिथियों का अतिथि-गृह में निशुल्क आवासन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया। जिन सदस्यों से शुल्क नही लिया जाना है उनकी भी इन्ट्री अतिथि-गृह के रजिस्टर में करते हुए उन्हें भी शुल्क से मुक्त (EXCMPT) की रसीद बुक दोने अलग होगी भी दिये जाने का सुझाव दिया गया।

26-11/05 **विश्वविद्यालय मे छात्र/छात्राओं की बढी हुयी संख्या के दृष्टिगत एक नयी बस का क्रय किये जाने के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।**

विश्वविद्यालय में छात्र/छात्राओं की संख्या बढ़ जाने के कारण विश्वविद्यालय के डे-स्कालरछात्र/छात्राओं को लाने एवं जाने में बहुत कठिनाई हो रही है। वर्तमान में उक्त छात्र/छात्राओं हेतु एक अदद 45 सीटर बस क्रय किये जाने की नितान्त आवश्यकता है। उक्त हेतु जेम पोर्टल से प्राप्त किये गयेकोटेशन के अनुसार एक 45 सीटर बस के क्रय पर लगभग 2937122.00 (रूपये उनतीस लाख सैतीस हजार एक सौ बाइस मात्र) है।

समिति के सदस्यों द्वारा बसों को आवश्यकतानुसार ई-टेण्डर के माध्यम से किराये पर लिये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

26-11/06 **विश्वविद्यालय के आई0टी0आर0सी0 में स्थापित CWN का उच्चीकरण एवं विस्तार के प्रस्ताव के साथ विश्वविद्यालय के सुरक्षा के दृष्टिगत CCTV Surveillance Video Storage System क्रय किये जाने के प्रस्ताव।**

समिति को अवगत करानाहै कि अध्यक्ष, आई0टी0आर0सी0 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

1. विश्वविद्यालय के आई0टी0आर0सी0 में स्थापित CWN के अन्तर्गत Network/ Internet की व्यवस्था एवं संचालन के वर्तमान में नये उच्चीकरण एवं विस्तार के क्रय किये जाने पर रु. 477.50 लाख का व्यय भार पडेगा।
2. विश्वविद्यालय के सुरक्षा के दृष्टिगत विभिन्न स्थानो पर सी0सी0टी0सी0 कैमराअधिष्ठापित है एवं भविष्य में और भी कैमरे को क्रय अधिष्ठापित करने की आवश्यकता है उक्त सी0सी0टी0सी0 के विडियों रिकार्डिग को मैनेज किये जाने हेतु CCTV Surveillance Video Storage System को क्रय किये जाने पर कुल अनुमानित लागत रु. 6.41 लाख का व्यय भार पडेगा। समिति प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ में यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त कार्य जेमपोर्टल अथवा ई-टेण्डर के माध्यम से कराया जाय।

26-11/07 **श्री मोहित यादव, संविदा वाहन चालक के पारिश्रमिक वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।**

समिति द्वारा श्री मोहित यादव, संविदा वाहन चालक मा0 कुलपति महोदय के स्टाफ कार चालक की लगातार अति कड़ी ड्यूटी के दृष्टिगत रखते हुए इनके वर्तमान देय पारिश्रमिक में 6 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि दिये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

26-11/08 **विश्वविद्यालय द्वारा लम्बित देयको के निस्तारण हेतु अधिष्ठाता नियोजन स्रोतजनन एवं पुरातन छात्र सम्बन्ध की अध्यक्षता में पॉच सदस्यीय गठित समिति की आख्या के अवलोकन का प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय द्वारा लम्बे समय से लम्बिति देयको के भुगतान निस्तारण के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी पत्र के अनुपालन में पूर्व से गठित लम्वित देयकों के भुगतानो के निस्तारण किये जाने की समिति द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी है। जिसमें कटौती के उपरान्त अब तक लगभग धनराशि रु. 39.44 लाख के भुगतान के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत की गयी है। इस कार्य हेतु गठित समिति द्वारा अवगत कराया गया है कि कुल लगभग 135 पत्रावलियों में से 53 पत्रावलियों पर समिति की आख्या एवं संस्तुति प्रस्तुत है। शेष अन्य प्रकरणों के सम्बन्ध में समति द्वारा पत्रावलियों का अनुशीलन प्रगति पर है जिनके निस्तारण विषयक आख्या एवं संस्तुति पृथक से उपलब्ध करायी जायेगी। वित्त समिति के समक्ष यह भी सुझाव रखा गया कि आख्या उपलब्ध कराये जाने के पूर्व प्रकरण को विल्डिगं एवं वर्क्स कमेटी में रख कर टेक्निकल परीक्षण करा लिया जाय। इस प्रकरण से सम्बन्धित

मण्डल एवं टी0ए0सी0 द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट को वित्त समिति में अंगीकृत किया गया, एवं तद्नुसार शीघ्र कार्यवाही करते हुए लम्बित भुगतानों को निस्पादित किये जाने के निर्देश दिये गये है। फर्म की ई0एम0डी0 को तत्काल वापस किये जाने की भी निर्देश दिये गये।

समिति के सम्मानित सदस्यों ने यह अपेक्षा की कि चुकि भुगतान से सम्बन्धित यह प्रकरण उ0प्र0 विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलम्ब समिति के समक्ष विचाराधीन है अतः भुगतान किये जाने योग्य धनराशि की सीमा तक वित्तीय स्वीकृति समिति के सदस्यों द्वारा प्रदान किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। पुनः इस बात पर जोर दिया गया कि प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए इस कार्य को तेजी से निष्पादित कराया जाय तथा कृत कार्यवाही से आगामी वित्त समिति की बैठक में समिति को अवगत कराया जाय।

26-11/09 **<u>प्रोजेक्ट UPCST एवं CST/D-1182 के एक्सपेरियमेटंल सेटअप डेवलपमेन्ट को सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने हेतुउ पकरण के क्रय का प्रस्ताव।</u>**

समिति द्वारा विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट UPCST एवं CST/D-1182 के एक्सपेरियमेटंल सेटअप डेवलपमेन्ट को सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने हेतु उपकरण के क्रय किये जाने पर अनुमानित लागत रु. 8.88 लाख का व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त प्रस्तावित कार्य पर होने वाला व्यय धन की उपलब्धता के अनुसार विश्वविद्यालय के श्रोतो से होने वाली आय की बचतो से वहन किया जायेगा।

अन्त मे बैठक अध्यक्ष महोदय एवं सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापनोपरान्त समाप्त हुई।

28.12.22
(अमर सिंह)
वित्त नियंत्रक
सदस्य/सचिव

भवदीय,

28.12.22
(प्रो0 जे0पी0 पाण्डेय)
कुलपति/अध्यक्ष